संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश

1. Allocation / Receipt /Utilization of grants under the XVFC for period 2021-21 to 2022-23

Year	Untied Grants (Rs. Crore)			Tied Grants (Rs. Crore)		
	Allocation	Receipt	Utilization	Allocation	Receipt	Utilization
2020-21	1992.00	1992.00	912.00	1992.00	1599.27	222.83
2021-22	1177.60	1093.59	1377.47	1766.40	1300.85	1107.98
2022-23 *	1220.00	682.60	760.62	1830.00	931.87	845.48
Total	**4389.60**	**3768.19**	**3050.10**	**5588.40**	**3831.99**	**2176.29**
	•In FY 2022-23 no Instt Received from GoI (Due to Panchayat Election 2022) **• 2nd Instt of Tied and Untied 2021-22 released in 2022-23**					

बिंदु क्र. 03- About Monioring of fund utilization

- पंचायतीराज संस्थाओं की संपरीक्षा Online/Offline माध्यम से सम्पादित कर पायी गयी अनियमितताओं पर आधारित संपरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित निकाय एवं पंचायतराज संचालनालय को जारी कर आपत्तियों पर कार्यवाही कर इनके निराकरण की अपेक्षा की जाती है।
- उपरोक्त प्रक्रिया से ग्राम पंचायत निधि की संपरीक्षा में पायी गयी वित्तीय अनियमितता की जानकारी निकाय प्रशासन/प्रशासकीय विभाग के संज्ञान में लायी जाती है।

बिंदु क्र. 04: Audit of Panchayats' Annual Accounts

- **(i)** संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायत निधि में प्राप्त समस्त राशि (14वें/15वें वित्त, भारत सरकार, राज्य शासन तथा स्वंय के स्त्रोत से प्राप्त) के लेखों की संपरीक्षा संपादित की जाती है।
- **(ii)** वित्त वर्ष 2019-20 के लेखों की संपरीक्षा उपरांत संपरीक्षा प्रतिवेदन, (14वें/15वें वित्त आयोग की राशि भी सम्मिलित है) Audit Online Portal के माध्यम से जारी किये गये हैं।
- **(iii)** वित्त विर्ष 2019-20 के पूर्ववर्ती वित्त वर्षों की सम्पादित संपरीक्षा से संबंधित संपरीक्षा प्रतिवेदन को पृथक से Offline रूप से जारी किया गया है।

दिनांक 07.03.2023 की स्थिति में

FY of Annual Accounts	Total No. of RLBs in State	No. Of RLBs audited online		No. Of RLBs audited offline	
		By Local fund auditors	By empanelled CAs	By Local fund auditors	By empanelled CAs
2019-20	22813	6055	-	4262	22813
2020-21	22741	7686	-	4818	22741
2021-22	22710	1357	-	342	22710

बिंदु क्र. 05 संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश की पद संरचना, स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत	रिमार्क
1	संचालक	01	01	
2	अपर संचालक	01	01	
3	संयुक्त संचालक	10	06	
4	उप संचालक	16	03	
5	सहायक संचालक	94	27	
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक (Senior Auditor)	287	113	**Field Staff**
7	सहायक संपरीक्षक (Assistant Auditor)	605	349	**Field Staff**
8	लिपिक वर्गीय	258	132	

बिंदु क्र. 06: Strategy to get 100% audit of RLBs

- **(i)** संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा के अन्तर्गत आवासीय संपरीक्षा(Resident/Pre Audit), पश्चातवर्ती संपरीक्षा (Post Audit) एवं संवर्ती संपरीक्षा(Concurrent Audit) प्रणाली प्रभावशील है। पंचायतराज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा पश्चातवर्ती संपरीक्षा (Post Audit) प्रणाली के अन्तर्गत की जाती है।
- **(ii)** जिला पंचायत/जनपद पंचायत के लेखों की संपरीक्षा हेतु 01 वित्त वर्ष के लिये 24 जनकार्य दिवस(Man-days) एवं ग्राम पंचायत के लिये 01 वित्त वर्ष हेतु 03 जनकार्य दिवस स्वीकृत किये जाते हैं।
- **(iii)** मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 6(1) के अन्तर्गत किसी भी निकाय के लेखों की संपरीक्षा हेतु न्यूनतम 03 जनकार्य दिवस आवश्यक है।

Continued...

- वर्तमान में पश्चातवर्ती संपरीक्षा के लिये उपलब्ध मैदानी अमला 40SA+91AA संपरीक्षकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।
- उपरोक्त के आधार पर कुल 131x20=2620(एक माह में 20 कार्य दिवस) जनकार्य दिवसों में कुल 873 ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा प्रति माह संपादित करायी जा सकती है। इस कारण ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा वार्षिक के स्थान पर 03 वर्षों में एक बार(03 वित्त वर्षों का एक साथ) Rotation System से संपादित कराये जाना उपयुक्त होगा।
- इस प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 8000 ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा संपादित करायी जा सकेगी।
- इस प्रक्रिया से 03 वर्षों की समयावधि में प्रत्येक ग्राम पंचायत की संपरीक्षा पूर्ण करायी जा सकेगी।
- प्रत्येक 03 वर्ष में प्रत्येक ग्राम पंचायत को संपरीक्षा कार्य पूर्ण कराये जाना अनिवार्य करते हुये इसे वित्त आयोग की राशि जारी करने की शर्त के साथ जोड़ा भी जा सकता है।

Continued...

- ग्राम पंचायतों की 100% संपरीक्षा के दृष्टिगत संपरीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराना पंचायतराज संस्थान के स्तर से सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है।
- पंचायतराज संचालनालय से अपेक्षा की गयी है कि, संपरीक्षा दल को जिला/जनपद स्तर पर आवश्यक अभिलेख एवं संसाधन उपलब्ध कराये जावे(अभिलेख यथा प्रशासकीय स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, नियमों के अनुरूप कार्यवाही संबंधी नस्तियॉ Offline रूप से उपलब्ध कराये जाने बावत्)।
- संपरीक्षा कार्य प्रगति की समीक्षा प्रशासनिक स्तर से सतत् रूप से किया जाना भी आवश्यक है।

बिंदु क्र. 08: About ATR

- मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 08 में संपरीक्षा उपरान्त 03 माह की समय सीमा में संपरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने का प्रावधान है।
- इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 10 में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निहित संपरीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु इन आपत्तियों पर की गयी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन निकाय पटल पर(ग्राम पंचायत के मामले में यह ग्राम सभा के पटल पर) रखे जाने का प्रावधान है।

बिंदु क्र. 09: About Audit Observations

- राज्य शासन द्वारा संपरीक्षा आपत्तियों पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा एवं कार्यवाही को मान्य कर आपत्ति को विलोपित किये जाने हेतु संभागायुक्त/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।

बिंदु क्र. 10: Suggesstion in respect of Action taken module

- ATR पर निश्चित समयावधि में कार्यवाही किये जाने के लिये प्रशासनिक स्तर पर समय-समय पर Monitoring किये जाने से ATR पर प्रभावी तरीके से कार्यवाही संभव हो सकेगी।

Status of election to the RLBs in the State

Tier of RLB	Details of Latest Due Elections		Remarks/ Reasons for non-conduct of elections
	Month / Year in which elections due	Month / Year in which elections were actually conducted	
Gram Panchayat	Feb, 2021	June, 2022	Issue related to reservation
Block Panchayat			
District Panchayats			

Status of latest SFC

वर्तमान में म.प्र. में 5वां राज्य वित्त आयोग वर्ष 2022-23 से लागू है जिसके क्रियांवयन संबंधी जानकारी भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय को पत्र क्र. 833 दिनांक 05.09.2022 से प्रेषित की गयी है

धन्यवाद